झूठी गवाही की सजा

मुहम्मद अजहर मदनी

अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजियल्लाहू अन्हू) से रिवायत है अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फरमाया जो कोई झूठी कसम खाकर अपने मुसलमान भाई की संपत्ति छीन लेता है, कयामत के दिन अल्लाह उस पर नाराज होगा पैगंबर (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के इस कथन की पुष्टि अल्लाह के इस कथन से भी होती है ''निःसंदेह, जो लोग अपनी प्रतिज्ञाओं और कसमों को बेचकर उनके बदले कम कीमत लेते हैं, उनका आखरित में कोई हिस्सा नहीं होगा। कयामत के दिन अल्लाह न तो उनसे बात करेगा, न ही उनकी ओर देखेगा, न ही उन्हें पवित्र करेगा, और उनके लिए दर्दनाक सजा होगी''। (सहीह बुखारी और सहीह मुस्लिम)

एक अन्य रिवायत में है अबू उमामा (रज़ियल्लाहू अन्हू) बयान करते हैं अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहू अलैहि व सल्लम) ने फरमाया जो कोई झूठी कसम खाकर किसी मुसलमान का माल छीन लेता है, अल्लाह ने उसके लिए जहन्नम अनिवार्य और जन्नत हराम कर दी है। एक व्यक्ति ने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहू अलैहि व सल्लम) से कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, चाहे वह कोई छोटी सी चीज ही क्यों न हो? उन्होंने (सल्लल्लाहू अलैहि व सल्लम) ने कहा, चाहे वह पीलू के पेड़ की एक शाखा ही क्यों न हो। (सहीह मुस्लिम)

अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहू अलैहि व सल्लम) जो गलतियों से अचूक थे, दो पक्षों के बीच फैसला करने में बहुत सावधानी बरतते थे, और जो भी फैसला वे करते थे वह सच्चाई पर आध ाारित होता था, और ऐसे फैसले का उद्देश्य अल्लाह की प्रसन्नता प्राप्त करना होता था। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहू अलैहि व सल्लम) ने एक बार फरमाया, मैं तो बस एक इंसान हूँ और तुम मेरे पास फैसला लेने आते हो, और हो सकता है कि तुममें से कुछ लोग अपनी दलीलें दूसरों से ज्यादा मज़बूत हों, इसलिए मैं उनकी बात सुनता हूँ और उनके पक्ष में फैसला करता हूँ। इसलिए, जो कोई फैसला करते समय अपने भाई के हक में से कुछ दे, वह उसे न ले, क्योंकि मैं उसे जहन्नम का एक टुकड़ा दे रहा हूँ। (सहीह बुखारी और सहीह मुस्लिम)

ऊपर बताई गई तीन हदीसें झूठी गवाही की निंदा करती हैं, पैगम्बर मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने झूठी गवाही देने वालों को कड़ी सजा देने की चेतावनी दी थी, लेकिन आज हमारे समाज में झूठी गवाही देने का चलन बढ़ रहा है। लोग थोड़े से लाभ के लिए झूठ बोलते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तथ्यों को इस तरह प्रस्तुत करते हैं जैसे कि वे सच हों, जबकि झूठी गवाही देने वाला सच्चाई को छिपाने के लिए अपने शब्दों को सजा–संवार कर लोगों के सामने पेश करता है, जबकि अल्लाह सर्वशक्तिमान अच्छी तरह से जानता है कि सभी के दिलों में क्या है। झूठी गवाही देने वालों को इस भ्रम और गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए

बाक़ी 26 पर

मासिक

इसलाहे समाज

अगस्त 2025 वर्ष 36 अंक 8

सफ़र 1447 हिजरी

संरक्षक

असग़र अ़ली 'सलफ़ी'

संपादक

मुहम्मद ताहिर

❑ वार्षिक राशि 100 रुपये

❑ प्रति कापी 10 रुपये

सम्पर्क

मासिक इसलाहे समाज (हिन्दी)

4116, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद

दिल्ली-110006

फोन : 23273407 फ़ैक्स: 23246613

RNI No. 53452/90

मुद्रक एवं प्रकाशक मुहम्मद ताहिर ने मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की ओर से एम.एस. प्रिन्टर्स, A-145 गली न० 8 चौहान बांगर, सीलमपुर, दिल्ली-53 से छपवा कर अहले हदीस मंज़िल 4116, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद दिल्ली-6 से प्रकाशित किया।

सम्पादक: मुहम्मद ताहिर

लेखक के विचारों से संस्था का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

इस अंक में

1. झूठी गवाही की सज़ा 02

2. वचन व संधि न तोड़ने का आदेश 04

3. मरने के बाद सवाल व जवाब 06

4. पवित्र कुरआन के बहुमूल्य अर्थ और ...08

5. नाम 10

6. जनाज़ा के अहकाम 12

7. पति की मृत्यु पर सन्तोष 14

8. 21वाँ आल इंडिया मुसाबक़ा हिफ़्ज़ व कुरआन करीम (विज्ञापन) 16

9. दहेज की रोक थाम कैसे की जाये 17

10. कार्य समिति के सत्र में आतंकवाद की निंदा की गई 22

11. प्रेस रिलीज़ 25

12. अपील 27

13. अहले हदीस मंज़िल (विज्ञापन) 28

ईमेल:-

Jaridahtarjuman@gmail.com

Jamiatahlehadeeshind@hotmail.com

अब 'इसलाहे समाज' इन्टरनेट पर भी उपलब्ध है

वेब साइट:- www.ahlehadees.org

सम्पादकीय

वचन व संधि न तोड़ने का आदेश

मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी
अध्यक्ष, मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द

यह बात सर्वमान्य है कि हालात का परिवर्तन और राष्ट्रीय हित इस्लाम में वचन भंग के लिये वैधता का कारण नहीं है। इसकी दलीलें कुरआन व हदीस से साबित हैं और बहुत सी घटनाएं इस पर साक्षी हैं। इसी तरह से दूसरे पक्ष के मामले में अगर मुसलमान अपने आप को ताकतवर समझ रहे हैं और दुश्मन से हर तरह से निडर हैं तब भी वचन भंग करने के लिये उनके पास कोई औचित्य नहीं है। पवित्र कुरआन में इस की स्पष्ट दलील मौजूद है। कुरआन में अल्लाह तआला ने फरमायाः

''और अल्लाह के वचन को पूरा करो जबकि तुम आपस में कौल व करार (संधि) करो और क़समों को उनकी मजबूती के बाद मत तोड़ो हालाँकि तुम अल्लाह को अपना ज़ामिन ठेहरा चुके हो, तुम जो कुछ भी करते हो अल्लाह उसको अच्छी तरह जान रहा है। और उस औरत की तरह न हो जाओ जिसने अपना सूत मजबूत काटने के बाद टुकड़े टुकड़े करके तोड़ डाला कि तुम अपनी क़समों को आपस में मक्र का बाइस न ठेहराओ, इस लिये कि एक गुट दूसरे गुट से बढ़ा चढ़ा हो जाए। बात सिर्फ यह है कि इस वचन से अल्लाह तआला तुम्हें आज़मा रहा है। यक़ीनन अल्लाह तआला तुम्हारे लिये क्यामत के दिन हर उस चीज़ को खोल कर बयान कर देगा जिस में तुम मतभेद कर रहे हो।'' (सूरे नह्लः९१-९२)

वचन और संधि चाहे जिस क़ौम के साथ किया गया हो वह अल्लाह तआला के साथ वचन व संधि बन जाता है जब तुम ने इस में क़सम खा ली या दीन और ईमान के वास्ते संकल्प कर लिया और क़सम न तोड़ने का संकल्प ले लिया और अल्लाह तआला को इसका ज़ामिन बना लिया तो ऐसे में एक मुसलमान का अपने दुश्मन से किया गया वचन तोड़ देना बुरी बात तो है ही, स्वयं अपने आक़ा व मौला जिस की ख़ातिर उसने दोस्ती व दुश्मनी का इतना बड़ा झगड़ा और खतरा मोल लिया है उसी से इतनी बिगाड़ क्यों कर एक मुसलमान कर सकता है। अतिरिक्त जोर देने और वचन तोड़ने की बुराई व खराबी बयान करते हुए सज़ा भी एक अर्थ में और चेतावनी भी कि अगर तुम वचन तोड़ने के बारे में सोचते भी हो तो यक़ीन रखो कि अल्लाह तआला के सामने जवाब दिही बड़ी सख्त होगी और उसके अपने होकर और उसी के नाम पर उसी की खिलाफवर्जी तुमहें कितनी मंहगी पड़ सकती है इसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। ''बेशक तुम जो कुछ भी करते हो अल्लाह उसके बारे में खूब जानता है'' यानी ऐसा करना अपने तमाम किये पर पानी फेरने जैसा है और ऐसा कोई कम अक़्ल ही कर सकता है और इससे बुरी बात क्या है कि क़सम धोका देने के लिये खाओ और मक्र व हीला और बुरे काम अंजाम देने के लिये वचन तोड़ो। खास तौर से इस ख्याल में अंजाम दो कि अब तुम फलाँ संधि करने वाले वाली कौम पर भारी पड़

रहे हो या अब वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारी यह मजबूती, तरक्की और ताक़त तुम्हें पतन और कमजोरी की तरफ ढकेलने वाली है इसके जरिये तुम्हारी सख्त आजमाइश और परीक्षा हो रहा है तुम्हें कुछ खबर है कि नहीं?

इसके बाद अल्लाह तआला फरमाता हैः

''तुम अल्लाह तआला के वचन को थोड़े मोल के बदले न बेच दिया करो। याद रखो अल्लाह तआला के पास जो कुछ है बाक़ी है और सब्र करने वालों को हम भले कर्मों का बेहतरीन बदला जरूर देंगे।'' (सूरे नह्लः९५)

ऐसे वक़्त में जब वचन निभाने का सिद्धांत मौजूद नहीं था और न इस तरह का कोई माहौल था। मुसलमानों को वादा निभाने का पाबन्द बनाया गया और कुरआन की आयतों का अवतरण इस वादा निभाने और इस पर अमल करने के लिये हुआ। कुरआन में अल्लाह तआला ने फरमायाः ''तमाम जानदारों से बदतर अल्लाह तआला के नज़दीक वह हैं जो कुफ्र करें, फिर वह ईमान न लायें जिन से आप ने अहद व पैमान (संधि) कर लिया फिर भी वह अपने अहद व पैमान को हर बार तोड़ देते हैं और बिल्कुल परहेज़ नहीं करते।'' (सूरे अनफालः५५-५६)

अल्लाह तआला फरमाता हैः

''मुश्रिकों का वादा अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक कैसे रह सकता है सिवाए उनके जिनसे तुमने अहद व पैमान (वचन व संधि) मस्जिदे हराम के पास किया है।'' (सूरे तौबा-७)

यहूद के बारे में अल्लाह तआला ने फरमायाः

''यह लोग जब कभी कोई संधि करते हैं तो उनकी एक न एक जमाअत इसे तोड़ देती है बल्कि उन में से अधिकांश ईमान से खाली हैं। (सूरे बकराः१००)

इस यकीन के बावजूद कि मुसलमानों को संधि की पासदारी न करने का किसी भी हालत में अधिकार नहीं है और इस इल्म के विपरीत कि दूसरे पक्ष के पास इस तरह की संधि की पाबन्दी का सिद्धांत नहीं है मगर यह कि मुसलमान जैसा कि इस्लामी तारीख से स्पष्ट है शर्तों के पूरे न होने से उपेक्षा करते हुए हर संभव सूरत में जंग से बचने के लिये संधि की पाबन्दी करते थे। इस पर सुलह हुदैबिया की संधि दलील व साक्ष्य है जबकि यह संधि ऐसी शर्तों पर आधारित थी जिन से पहले ही मरहले में यह जाहिर हो जाता है कि यह संधि मुसलमानों के हक़ में ज्यादती थी मुसलमानों ने जिस तरह से सुलेह की और अपने वादे को निभाया वह इसकी स्पष्ट मिसाल है।

जबकि मुसलमान ग़लबा, जीत व सफलता के बावजूद दुश्मन और दूसरे पक्ष की तरफ बढ़ाये हुए सुलहे के हाथ को कैसे बढ़ चढ़ कर थाम लेते थे? हर तरह की ताक़त और वर्चस्व प्राप्त होने के बाजवूद अपनी जान पर खेल कर इस संधि की जिस तरह हिफाज़त करते थे और वादा निभाने में कितने पोख्ता और ईमानदार थे? इसके बाज़ उदाहरण सीरिया, हिम्स के साथ अच्छे व्यवहार इस्लाम के सेनापति हज़रत अबू उबैदह बिन जर्राह रज़ियल्लाहो ताआला अन्हो के व्यवहार और चरित्र और दसियों घटनाओं से स्पष्ट है।

❑❑❑

मरने के बाद सवाल जवाब

डा० हाशिम अल अह्दल

दुनिया की जिंदगी के बाद कब्र की जिंदगी का मरहला आता है कुरआन में एक जगह अल्लाह तआला ने फरमायाः हर जान मौत का मजा चखने वाली है और कयामत के दिन तुम अपने बदले पूरे पूरे दिए जाओगे। (सूरह आले इमरान)

कुरआन में एक दूसरी जगह अल्लाह तआला ने फरमायाः तुम जहां कहीं भी हो मौत तुम्हें आ पकड़ेगी चाहे तुम मजबूत किलों में हो। (सूरह निसा ७८)

एक मुसलमान इस बात का पक्का यकीन रखता है कि मौत एक दरवाजा है जिसमें तमाम लोगों को दाखिल होना है और कब्र की ज़िंदगी तमाम लोगों का घर है और सभी को उसकी जियारत करनी है सब लोग इसमें कुछ मुद्दत गुजारेंगे जिसका ज्ञान अल्लाह तआला को है फिर कर्मों के बारे में पूछ गछ और बन्दों के दरमियान फैसले के लिए परलय कायम होगी। कब्र की ज़िंदगी के बारे में और उसकी स्थिति के बारे में अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मालूम ना आप को ना दोस्तों को ना सेवकों को वहां जो भी सवाल जवाब होगा और हिसाब लिया जाएगा उसके बारे में केवल अल्लाह ही तआला जानता है कुरआन में अल्लाह ताला ने फरमाया : ईमान वालों को अल्लाह तआला पक्की बात के साथ मजबूत रखता है दुनिया की ज़िंदगी में भी और आखिरत में भी हां ना इंसाफ लोगों को अल्लाह तआला बहका देता है और अल्लाह तआला जो चाहे कर गुजरे। (सूरे इब्राहीमः२७) अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैयत को दफन कर लेते तो कब्र पर कुछ देर ठहरते और कहते अपने भाई के लिए मगफिरत की दुआ करो और अल्लाह तआला से उसकी साबित कदमी का सवाल करो क्योंकि अब इससे सवाल जवाब होने वाला है। बरा बिन आजिब रज़ियल्लाहो तआला अन्हू बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मुसलमान से जब कब्र में सवाल होता है और वह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही दे देता है तो यही मतलब है ''युसब्बितुल लाहिल लजीना'' आयत का अर्थात अल्लाह तआला ईमान वालों को मजबूत बात के जरिए साबित कदम रखता है दुनिया की ज़िंदगी में भी और आखिरत में भी जैसा कि अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहो तआला अन्हू से रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बंदा जब अपनी कब्र में रख दिया जाता है और उसके साथी पीठ मोड़ कर

चल देते हैं और वह उनके जूते की आवाज सुनता है उस वक्त उसके पास दो फरिश्ते आते हैं उसे बिठाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम इस आदमी यानी मोहम्मद सल्लाहो अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहते थे? वह कहता है कि मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं तब इस शख्स से कहा जाता है कि नर्क में जो तुम्हारी जगह थी उसे देख लो अल्लाह तआला ने इसके बदले तुम्हें जन्नत में ठिकाना दिया है अपने दोनों ठिकाने देखने लगता है और काफ़िर और मुनाफिक आदमी से कब्र में यही सवाल किया जाता है कि तुम उस आदमी के बारे में क्या कहते थे? वह कहते हैं मैं उन्हें नहीं जानता मैं उन्हें वह कहता था जो लोग उनके बारे में कहते थे उनसे कहा जाता है तुमने खुद गौर नहीं किया और ना आलिमों की पैरवी की फिर लोहे की गुरुज से उसके दोनों कानों के बीच मारा जाता है तो ऐसी चीख मारता है जिसे इंसान जिन्नात के अलावा उसके आसपास की पूरी मखलूक सुनती है। कब्र में सवाल जवाब एक लाजमी मामला है इससे किसी को छुटकारा नहीं और इस सवाल जवाब का खुलासा यह है कि या तो जन्नत मिलेगी या तो फिर जहन्नम मिलेगा इमाम तबरी रहमातुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कब्र की आजमाइश और उसके अजाब पर ईमान लाना वाजिब है और इसकी पुष्टि भी जरूरी है जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किअल्लाह ताला अपने बंदे को कब्र में जिंदगी लौटा कर जिंदा करता है और उसको वह अक्ल देता है जिस अक्ल पर वह दुनिया की जिंदगी में रह रहा है ताकि वह कब्र में अपने सवाल जवाब को समझे और उसके रब की जानिब से उसे जो इज्जत या जिल्लत मिली है उसे जाने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इसकी दलील है यही अहले सुन्नत का मजहब और अहले मिल्लत की जमाआत का भी मसलक है।

❑❑❑

(प्रेस रिलीज़)

सफ़रुल मुज़फ़्फ़र १४४७ का चाँद नज़र नहीं आया

दिल्ली, २५ जुलाई २०२५

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की ''मर्कज़ी अहले हदीस रूयते हिलाल कमेटी दिल्ली'' से जारी अखबारी बयान के अनुसार दिनांक २९ मुहर्रमुल हराम १४४७ हिजरी अर्थात २५ जुलाई २०२५ को मग्रिब की नमाज़ के बाद अहले हदीस कम्पलैक्स ओखला नई दिल्ली में ''मर्कज़ी अहले हदीस रूयते हिलाल कमेटी दिल्ली'' की एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई और सफ़रूल मुजफ्फर के चांद को देखने के सिलसिले में यथापूर्व देश के अधिकांश राज्यों की जमाअती इकाइयों के पदधारियों और समुदायिक संगठनों से फून के माध्यम से संपर्क किये गये जिसमें विभिन्न राज्यों से चांद को देखने की प्रमाणित खबर नहीं मिली। इस लिये यह फैसला किया गया कि दिनाँक २६ जुलाई २०२५ को मुहर्रमुल हराम की ३०वीं तारीख होगी।

पवित्र कुरआन के बहुमूल्य अर्थ और अद्भुत विषय

किसी भी विषय में दो बातें अवश्य आँकी जाती हैं। १. उस में फैलाव और कुशादगी हो, यानी सारी बातें उस में आ जायें, पढ़ने के बाद किसी कमी का एहसास न हो। २. विषय का बयान और अन्दाज़े बयान लुभावना और दिलकश हो, ताकि पढ़ने वाला दिल चस्पी के साथ पढ़ता चला जाये।

पहली विशेषता और खूबी के बारे में कुरआन मजीद का स्वयं दावा है इस किताब में हर पहलू पर और हर प्रकार की बातें मौजूद हैं''। इस आयत की रोशनी में पढ़ा लिखा मुसलमान यह दावा से कह सकता है कि किस विषय में कुरआन ने कुछ नहीं बयान किया है? तहज़ीब, अख़्लाक़, नफ्स, रूह, दिल की सफ़ाई, नजात का तरीक़ा, जन्नत, दोज़ख, दुनिया, आख़िरत, कारोबार, लेन-देन, शादी-विवाह, इबादत, अक़ीदा, तौहीद, फलसफ़ा, ग़र्ज यह कि वह नया से नया विषय हो, या पुराना से पुराना, सब कुछ कुरआन में मौजूद है, मगर शर्त है खोजने वाली आँखों की। कुरआन का इस विषय में खुल कर चेलन्ज है ऐ रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम! यह लोग कैसा ही अजीब प्रश्न आप के सामने पेश करें मगर हम उसका ठीक-ठाक उत्तर स्पष्ट शब्दों में उनको देंगे। (सूरे फुरकान-३३) यह बात अपने स्थान पर बिल्कुल अटल है इस विषय में यानी वुस्अत, हमा गीरी, फैलाव, कुशादगी और हर विषय को अने अन्दर समेटने में दुनिया की कोई भी किताब कुरआन का मुक़ाबला नहीं कर सकती।

रही दूसरी विशेषता यानी उम्दगी, बेहतरी, बयान व अन्दाज़े बयान का मस्अला तो आप स्वयं देख सकते हैं कि दुनिया में अल्लाह को मानने वाली जितनी भी क़ौमें हैं वह किसी न किसी तरह अल्लाह को अवश्य एक मानती हैं। एक बुत परस्त और नसरानी जो कि मसीह और मरयम के खुदा होने के मुद्दअी हैं, वह भी शिर्क के बावजूद एक अल्लाह को मानते हैं। इनके अलावा और दूसरे धर्मों के मानने वाले भी अगर्चे अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं लेकिन सुपर पावर, सबसे बड़ी हस्ती उसी को मानते हैं और अपनी-अपनी किताबों में अपने तौर पर साबित भी करते हैं इनकी किताबों में साबित करने के बयान और अन्दाज़े बयान को रखा जाये और और कुरआन मजीद को दूसरी तरफ, तो हर कोई यही पायेगा कि कुरआन के सामने उनकी हकीकत सूरज के सामने दिये की है, या दरिया और समुन्द्र के पानी के मुकाबले में कूजे की सी है। अगर किसी को यक़ीन न हो तो वह अपनी किताब का तर्जुमा पेश करे और कुरआन में तौहीद का विषय किसी भी स्थान से लेकर तीसरे शख्स के पास फैसला के लिये भेज दे, तो फैसला करने वाला पुकार उठेगा तौहीद के विषय में सबसे मुकम्मल और स्पष्ट बयान कुरआन मजीद का है।

यह बात याद रहे कि कुरआन

मजीद का दावा है आप फरमा दीजिये! अगर तमाम इन्सान और जिन्नात सबके सब इस बात के लिये जमा हो जोयं कि ऐसा कुरआन बना लायें, तब भी ऐसा न ला सकेंगे। (बनी इस्राईल-८८)

कुरआन मजीद के इस दावे में जहां बयान, अन्दाज़े बयान, शब्दों का प्रयोग फ़साहत, बलाग़त अल्फाज़ की तर्तीब शामिल है, वहीं इन शब्दों का माना मतलब भी शामिल हैं जो शब्दों के अन्दर पोशीदा हैं। इल्म और बसीरत की नज़र रखने वाला ही इनकी तह में पहुंच कर तलाश कर सकता है।

कुरआन मजीद के बयान करने का अन्दाज़ इतना प्यारा है कि हर शख्स उसे सरलता से समझ सकता है और पढ़ने के बाद कुरआन की बात दिल की गहराई में समाती चली जाती है। एक उदाहरण ले लीजिये कुरआन फरमाता हैः क्या यह लोग ऊंट को नहीं देखते कि किस तरह अजीबोगरीब पैदा किया गया है? और आसमान को नहीं देखते कि किस प्रकार बुलन्द किया गया है? और पहाड़ों को नहीं देखते कि किस प्रकार खड़े किये गये हैं? और ज़मीन को नहीं देखते कि किस प्रकार बिछाई गयी है? (सूरः ग़ाशिया १७,१८,१९,२०)

कुरआन मजीद यहां पर ऊंट, आसमान, पहाड़ और ज़मीन का ज़िक्र कर रहा है। यह चारों चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें अरब के लोग हर समय देखते थे, लेकिन देखते हुये भी नहीं देखते थे। वह केवल ऊंट देखते थे, उसकी बनावट उसका बेडोल बदन, उसकी ऊंचाई लम्बाई गर्दन, चाल-ढाल को नहीं देखते थें कुरआन इस प्रकार देखने की हिदायत की। इस तौर पर एक नज़र डालते ही उनकी आंखें खुल गयीं, उनके दिल के पर्दे हट गये, और उन्हें यक़ीन हो गया कि जिस खुदा ने यह चीज़ें बनाई हैं, वह निःदेह सबसे शक्ति शाली हस्ती हैं, वह सबसे बुलन्द मर्तबे का मालिक है और वही इबादत व इताअत के लाइक़ है। अरब का रेगिस्तान जिसे कोई देखना तक गवारा न करता था, उसको देखा तो उसमें अल्लाह की कुदरत के करिश्मे नज़र आने लगे।

(तफ़सीर सनाई)

इस्लाहे समाज
खरीदारी फार्म

पत्रिका को घर पर मंगवाने के लिये अपने पते में निम्न विवरण ज़रूर लिखें।

नाम.....

पिता का नाम.....

स्थान.....

पोस्ट आफिस.....

वाया.....

तहसील.....

जिला.....

पिन कोड.....

राज्य का नाम.....

मोबाइन नम्बर.....

अपना मनी आर्डर इस पते पर भेजें।

आफिस का पताःअहले हदीस मंज़िल 4116, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद दिल्ली-6

बैंक और एकाउन्ट का नामः

Markazi Jamiat Ahle Hadees Hind

A/c No. 629201058685 (ICICI Bank) Chani Chowk, Delhi-6

RTGS/NEFT/IFSC CODE ICIC0006292

नोटः-बैंक द्वारा रक़म भेजने से पहले आफिस को सूचित करें।

नाम रखने से संबन्धित इस्लामी अहकाम

प्रो० डॉ० मुहम्मद ज़ियाउर्रहमान आज़मी

नमा रखने और फिर नामों से किसी को पुकारने के विषय में इस्लाम की दो विशेष शिक्षाएं हैं।

१. इस्लाम से पहले अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे को मुंह-बोला बेटा बना लेता था तो वह बच्चा उस व्यक्ति के पुत्र के नाम से जाना जाता था। जैसे नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने ज़ैद-बिन हारिसा को अपना मुंह बोला बेटा बना लिया था तो लोग उनको ज़ैद बिन मुहम्मद कहने लगे थे। कुरआन ने स्पष्ट रूप से इससे रोक दिया।

उन (मुंह बोले बेटों) को उनके पिता के नामों से पुकारो। यही अल्लाह तआला की दृष्टि में अधिक न्यायोचित बात है) (सूरा-३३, अल-अहज़ाब, आयत-५)

इसलिए अब किसी मुंह बोले बेटे को मुंह बोले बाप के नाम से नहीं पुकारा जाएगा और न ही वह उसका सगा पिता माना जाएगा, अर्थात सगे बाप-बेटे के जो आदेश हैं वे मुंह-बोले बाप-बेटे पर लागू नहीं किए जाएंगे। जैसे मीरास, विवाह इत्यादि।

इस आयत से यह अर्थ भी निकलता है कि बेटे के साथ बाप का नाम लगाना उचित है, अर्थात, नाम का दूसरा भाग बाप का होना चाहिए न कि एक ही व्यक्ति के दो तीन नाम। जैसे कोई अपना नाम अहमद मुहम्मद अब्दुल्लाह रखे, तो यह उचित नहीं है, क्योंकि किसी सहाबी, ताबई, इमाम, मुहद्दिस तथा साधारण व्यक्ति के विषय में ऐसा नहीं आता कि उसने अपने लिए दो या तीन नाम रखे हों। लेकिन कुछ देशों में ऐसा ही होता है, इसलिए अरब के लोगों को यह समझना कठिन होता है कि क्या ये तीन नाम एक व्यक्ति के हैं? या उसका, उसके पिता तथा उसके दादा के नाम हैं। सहीह हदीस में आया है कि नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया- ''मेरे पांच नाम हैं। मैं मुहम्मद हूं, मैं अहमद हूं, मैं माही हूं जिसके द्वारा अल्लाह कुफ्र को मिटाता है, और मैं हाशिर हूं जिसके क़दमों पर लोग क़ियामत में उठेंगे, और मैं आक़िब हूं (अर्थात जिसके बाद कोई नबी नहीं आएगा) (बुखारी, ३५३२ मुस्लिम, २३५४)

आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के ये शुभ नाम, आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की विशेषताएं बताने के लिए हैं। इसी लिए एक दूसरी सहीह हदीस में आता है- ''मैं मुहम्मद हूं, मैं अहमद हूं, मैं मुकफ्फी हूं, मैं नबीयुत्तौबा हूं, मैं नबीयुल मलाहिम हूं।'' (सहीह मुस्लिम, २३५५)

इसलिए कुछ विद्वानों ने आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के बीस से भी अधिक नाम बताए हैं। परन्तु आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का वास्तविक नाम केवल एक ही था मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह। इसी प्रकार यह भी उचित नहीं कि कोई कन्या विवाह के बाद अपने नाम के साथ अपने पति का नाम लगा ले। जैसे ज़ैनब से ज़ैनब फरीद बन जाए, क्योंकि फ़रीद उसके पति का नाम है। ऐसा करना कुरआन की उपयुक्त आयत के विरूद्ध है जिस में कहा गया है कि- ''उनके पिता के नामों से पुकारो'' (सूरा-३३, अल-अहज़ाब, आयत-५)

इस्लाम ने नारी-जाति के मान-सम्मान और प्रतिष्ठा को पूर्ण रूप से स्वीकार किया है। इसलिए

चाहे कुंवारी हो या विवाहिता, दोनों दशाओं में उसको नाम के साथ ही पुाकरा जाएगा। कभी उसको ज़ैनब अब्दुल्लाह कहेंगे अर्थात् अब्दुल्लाह की पुत्री ज़ैनब और कभी फ़रीद की पत्नी ज़ैनब कहेंगे। यहां पत्नी शब्द लगाना अनिवार्य है, ताकि वह फ़रीद की पुत्री न बन जाए। यह आधुनिक परम्परा और प्रचलन के विरूद्ध है, जिसमें स्त्री की कोई प्रतिष्ठा ही नहीं है। जब वह कुंवारी होती है तो उसको 'मिस जार्ज' कहते हैं। और जब ब्याही जाती है तो 'मिसेज लॉर्ड' कहने लगते हैं। प्रश्न यह है कि उसका अपना व्यक्तितव कहां गया? क्या यह महिला अधिकार और मान-सम्मान के विरूद्ध नहीं है?

एक हदीस में तो यह भी आता है-''क़ियामत के दिन तुमको तुम्हारे बाप के नामों के साथ पुकारा जाएगा, इसलिए अच्छे नाम ग्रहण करो।'' (अबू-दाऊद, ४९४८, मुस्नद अहमद, ५:१९४) २. नामों के विषय में इस्लाम की दूसरी शिक्षा यह है कि बच्चों का नाम अच्छा रखा जाए।

एक सहीह हदीस में आता है-''अल्लाह को अब्दुल्लाह और अब्दुर्रहमान नाम अधिक पसन्द हैं।'' (सहीह मुस्लिम, २१३२)

अर्थात! वह नाम जिसमें अल्लाह का बंदा होने का विचार आए, जैसे अब्दुल करीम (करीम का बन्दा), अब्दुर्रहमान (रहीम का बन्दा), अब्दुल अज़ीम (अज़ीम का बन्दा) अब्दुल जब्बार (जब्बार का बन्दा), इत्यादि। क्योंकि ये सब अल्लाह के नाम हैं। इसके बाद रूचिकर नामों में रसूलों के नाम हैं जैसे- मुहम्मद, अहमद, आदम, नूह, इबराहीम, इस्माईल, इसहाक, याकूब, युसुफ, सुलैमान, मूसा, हारून, ईसा इत्यादि। इसके बाद रूचिकर नामों में सहाबा के नाम हैं। जैस- अबू बक्र, उमर, उस्मान, अली, ज़ुबैर, उबैदा, हसन, हुसैन रज़ियल्लाहो तआला अन्हुम इत्यादि।

इसी प्रकार रूचिकर नामों में जिबरील, मीकाईल, इसराफील इत्यादि फरिश्तों के नाम हैं। चूंकि वे भी अल्लाह के पैदा किए हुए हैं। इसलिए उनके नाम रखना अनुचित नहीं है, परन्तु कुछ विद्वानों ने पसन्द नहीं किया है।''अल्लाह के निकट सबसे अप्रिय नाम यह है कि कोई अपना नाम मलिकुल-मुलक (अर्थात शहनशाह) रखे।'' (सहीह बुख़ारी ६२०५ तथा सहीह मुस्लिम २१४३)

इसी प्रकार ऐसे नामों से भी बचना चाहिए जिनमें स्वयं की प्रशंसा हो, जैसे बर्रह अर्थात बहुत अधिक पुण्य कर्म करने वाली।

सहीह हदीस में आता है कि ज़ैनब का वास्तविक नाम बर्रह था, तो नबी स० ने उनका नाम ज़ैनब रख दिया। (बुखारी, ६१९२ तथा मुस्लिम, २१४१)

इसी प्रकार ऐसे नाम को भी नबी स० ने पसन्द नहीं यिका जिसमें अशुभ अर्थ पाया जाता हो।

सहीह हदीस में आया है कि एक व्यक्ति नबी स० के पास आया। आप स० ने उसका नाम पूछा तो उसने बताया, हुजन अर्थात दुख तथा कठिनाई। आप स० ने कहा, ''तुम हुजन नहीं बल्कि 'सहल' हो। उसने कहा, ''जिस नाम को मेरे वंशवालों ने रखा है, मैं उसको बदलना चाहता।'' आप स० खामोश हो गए।

इसी प्रकार अशुभ नामों में फ़िरऔन, कारून, हामान इत्यादि है, जिन पर अल्लाह का अज़ाब आ चुका है। इसी प्रकार अशुभ नामों में यह भी है कि कोई व्यक्ति अल्लाह को छोड़कर किसी और के साथ अपनी बंदगी जोड़े। अब्दुन्नबी, अब्दुर्रसूल इत्यादि। अगर अब्द का अर्थ गुलाम है तो गुलाम मुहम्मद, गुलाम रसूल, इत्यादि नाम रखना भी ठीक नहीं। बच्चों के नाम रखने के विषय में ये बातें पुत्र और पुत्रियां दोनों के लिए हैं। अर्थात पुत्रियों के नाम रखते समय भी इन बातों का ध यान रखना चाहिए कि वे सुन्दर भी हों और उनसे अल्लाह के सिवा किसी और की बंदगी का अर्थ न आने पाए।

जनाज़ा के अहकाम

अब्दुल करीम अब्दुल मजीद अद्दीवान

मय्यत पर चीख़-पुकार करना हराम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः (जिस मय्यत पर शोकालाप (नौहा) किया जाता है, क़ियामत के दिन इस शोकालाप के कारण उसे अज़ाब दिया जाएगा) परन्तु रोने में कोई हरज नहीं है। पत्नी अपने पति की मौत पर चार महीने दस दिन शोक मनाएगी। पति के अतिरिक्त किसी अन्य पर तीन दिन से अधिक शोक मनाना जाएज़ नहीं है।

इहदाद (शोक)ः इहदाद कहते हैं जिस महिला का पति मर जाए, बग़ैर ज़रूरत के उसका अपने घर से न निकलना, सौन्दर्यता प्रदर्शन करने वाले कपड़े न पहनना, सुरमा और खुशबू इत्यादि के द्वारा श्रृंगार न करना। इस दौरान उस महिला से निकाह नहीं किया जाएगा, उसे विवाह का पैग़ाम नहीं दिया जाएगा और न ही उससे इस अवधि में विवाह संबन्धित कोई बात की जाएगी।

मय्यत को गुस्ल (स्नान) कराने का बयानः मय्यत को गुस्ल कराना वाजिब है चाहे वह पुष्रूष हो या महिला हो, छोटा हो या बड़ा हो।

मय्यत को स्नान कराने का तरीक़ाः

१. मय्यत के जिस्म पर इस प्रकार पानी बहाना कि पूरे बदन में पानी पहुंच जाए।

२. मय्यत को नमाज़ की तरह वज़ू कराना मुस्तहब है। फिर इसके बाद उसे तीन बार गुस्ल दिया जाए।

३. अगर किसी कारण उसे पानी से गुस्ल देना असंभव हो जाए तो उसे नमाज़ की तरह मिटटी से तयम्मुम कराया जाए।

४. पुरूष पुरूष को स्नान कराएगा, परन्तु पति के लिए जाएज़ है कि वह अपनी पत्नी को स्नान कराए। और महिला महिला को स्नान कराएगी, परन्तु पत्नि के लिए जाएज़ है कि वह अपने पति को गुस्ल कराए।

तदफीन यानी मय्यत को कफ़न पहनाने का बयानः मय्यत को कफ़न पहनाना वाजिब है। सर और दोनों पैर सहित मय्यत के पूरे बदन को कपड़ा इत्यादि से ढांकने को कफ़न कहते हैं। मय्यत को इस से अच्छी तरह लपेट दिया जाए। पुरूष के कफ़न के लिए तीन कपड़े और महिला के कफ़न के लिए पांच कपड़े का होना मुस्तहब है।

नमाज़े जनाज़ा का बयानः

मय्यत पर नमाज़े जनाज़ह पढ़ना वाजिब (फर्ज़े किफ़ाया) है, अर्थात कुछ मुसलमानों का उस पर नमाज़े जनाज़ा पढ़ लेना काफ़ी है। नमाज़े जनाज़ा के लिए वही शर्तें हैं जो फर्ज़ नमाज़ के लिए हैं। (नमाज़ की शर्तों का बयान देखिए)

मय्यत को क़िब्ला की ओर रख दिया जाए, और इमाम पुरूष मय्यत के सर के पास खड़ा हो जाए, और अगर मय्यत स्त्री हो तो उसके बीच खड़ा हो जाए, और अन्य नमाज़ी इमाम के पीछे तीन या उससे अधिक सफ़ (पंक्ति) बनाकर खड़े हो जाऐं। अगर केवल एक ही व्यक्ति हो तो वह अकेले ही उस पर नमाज़ पढ़ ले। फिर चार तकबीर

कहे। पहली तकबीर के बाद खमोशी से सूरह फ़ातिहा पढ़े। दूसरी तकबीर के बाद दरूदे इब्राहीमी (अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद पढ़े। तीसरी तकबीर के बाद मय्यत के लिए दुआ करे।

उच्चारणः ''अल्लाहुम्मग़फिर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़कारिना व उन्साना। अल्लाहुम्म मन अह्ययतहू मिन्ना फअह्यिही अलल इस्लामि व मन तवफ्फय्तहू मिन्ना फतवफ्फहू अललईमान। अल्लाहुम्मा ला तहरिमना अजरहू व ला तफ्तिन्ना बादहू।''

अर्थः ऐ अल्लाह! क्षम कर हमारे जीवितों को और हमारे मुर्दों को हमारे उपस्थित को और हमारे अनुपस्थित को हमारे छोटों को और हमारे बड़ों को और हमारे पुरूषों को और हमारी महिलाओं को। ऐ अल्लाह! हम में से जिनको तू जीवित रखे उसको इस्लाम पर जीवित रख और हम में से जिसको मृत्यु दे, तू उसको ईमान पर मृत्यु दे। ऐ अल्लाह! हमको इसके पुण्य से वंचित न रखना और उसके बाद हमको बुराईयों में मत डालना।

उच्चारणः ''अल्लाहुम्मग़्फ़िर लहू वर हमहू व आफ़िही वाफु अनहू व अकरिम नुजुलहू व वस्सिअ् मुदखलहू वगसिलहू बिलमाई वस्सलजि वलबरदि व नक़्किहि मिनल ख़ताया कमा नक़्क़यतस्सौबल अबयजा मिनद्दनसि व अबदिलहू दारन खैरम मिन दारिहि व अहलन खैरम मिन अहलिहि व जौजन खैरम मिन जौजिहि व अदखिलहुल जन्नता व अइज़्हू मिन अज़ाबिल क़बरि व अज़ाबिन्नार।''

अर्थः ऐ अल्लाह! इसको क्षमा कर दे, और इस पर कृपा कर, इसको शान्ति दे, और इसको क्षम कर, और इसकी मेहमानी इज़्ज़त के साथ कर, इसकी कब्र को फैला दे, और इसके पाप को पानी, बर्फ और ओले से धो दे, और इसकी गलतियों को इस प्रकार साफ कर दे, जिस प्रकार तूने सफेद कपड़ा मैल से साफ किया, और इसके घर से अच्छा घर प्रदान कर, और इसके घरवालों से अच्छे घरवाले प्रदान कर, और इसकी पत्नी से अच्छी पत्नी प्रदान कर, और इसको जन्नत में प्रवेश फरमा, और इसको कब्र के अज़ाब से और नरक के अज़ाब से बचा।

और चौथी तकबीर के बाद बग़ैर कुछ पढ़े दाहिने ओर केवल एक बार सलाम फेरे।

इमाम या मुनफ़रिद (अकेले नमाज़ पढ़ने वाले) के खड़े होने का स्थान।

दफ़न करने का बयानः मय्यत को दफ़न करना वाजिब है। मय्यत को उसकी क़ब्र में किब्ला की ओर लेटा देने और उसे दाहिने पहलू के बल रख देने के बाद उसके समस्त शरीर को क़ब्र में छुपा देने को दफ़न कहते हैं।

दफ़न के समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए

१. क़ब्र को धरती के बराबर करना। इसलिए कि नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने क़ब्र को धरती के बराबर करने का आदेश दिया है। मगर जुमहूर उलमा ने क़ब्र को एक बालिश्त (बित्ता) ऊंचा करने को मुस्तहब कहा है। २. क़ब्र को पक्की बनाना और उस पर इमारत बनाना हराम है। इसलिए कि नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने ऐसा करने से मना फ़रमाया है। ३. क़ब्रों पर मस्जिदें बनाना हराम है।

४. क़ब्रों को खोदकर मय्यत को निकालना हराम है।

५. क़ब्रों पर बैठना हराम है।

❑❑❑

पति की मृत्यु पर सन्तोष

डा० मुक़तदा हसन अज़हरी

महिला के जीवन में पति की मृत्यु एक महान दुखद घटना है। संसार में अल्लाह (ईश्वर) के पश्चात पति, महिला का सबसे बड़ा सहारा है। उसका अस्तित्व महिला की आवश्यकताओं को पूर्ण करने, दुख दर्द में सहयोग तथा सहायता करने में भरपूर सहायक होता है। जीवन साथी के बिछड़ने का कष्ट हृदय विदारक तथा असहनीय है, विशेषकर महिलाओं के पक्ष में जिनपर सुख दुख का कुछ अधिक ही प्रभाव पड़ता है, और जो प्रसन्नता तथा दुख के आने जाने से शीघ्र ही अत्यधिक प्रभावित होती है। यही कारण था कि इस्लाम के पूर्व महिलायें पति के मर जाने पर शोक मनाने में बड़ा नाटकीय ढंग अपनाती थीं। चेहरे को नोचना, सिर पटकना, कपड़े फाड़ना तथा सिर के बाल मुंडवा देने तक का प्रचलन था। यह रसमें आज भी गैर मुस्लिम समाज में अनेकानेक स्थान तथा जातियों में प्रचलित हैं, जहां कि लोग इस्लामी शिक्षाओं से अपरिचित है।

अरब में यह परम्परा थी कि जब किसी स्त्री का पति मर जाता तो वह घर के एक कोने में फटे पुराने कपड़े पहन कर बैठी रहती थी, इस काल में न तो वह कभी कपड़े बदलती, न स्नान करती, न बाल संवारती, न नाखून काटती। एक वर्ष बीत जाने पर स्त्री जब अपने एकान्तवास से बाहर निकलती तो कुत्ता, बकरी या गधा आदि पशु जो भी उसके सामने आता उससे अपने शरीर को रगड़ कर पोंछती, इसके शरीर की दुर्गन्ध से प्रायः पशु मर ही जाता था।

इस्लाम ने इस अमानवीय कार्य तथा बुरी रस्म को जो उस समाज में प्राचीन समय से प्रचलित थी समाप्त करके यह आदेश दिया कि पत्नी, पति की मृत्यु के उपरान्त केवल ४ माह १० दिन का समय गुज़ारेगी, तथा इसमें भी न तो अपने कपड़े नोचेगी, न फाड़ेगी, न ही सिर को मुड़वायेगी और न ही अपने मुंह को नोचेगी, अपितु इद्दत में रहने या पति का शोक मनाने का अर्थ यह है कि स्त्री इददत के समय तक बनाव श्रृंगार नहीं करेगी, उसके लिए खुशबू लगाना, घर से बाहर निकलना वर्जित है। इद्दत का जो समय निश्चित है उसका रहस्य यह है कि उसमें पति के प्रति आभार, कृतज्ञता तथा प्रेम का सम्बन्ध स्पष्ट हो जाये। इसी प्रकार यह भी न समझा जाये कि स्त्री दूसरी शादी हेतु व्याकुल है और यदि वह गर्भवती होगी तो वह भी स्पष्ट हो जायेगा।

बुखारी तथा मुसिलम की एक हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने किसी मरने वाले का शोक तीन दिन से अधिक मनाने की मनाही की है, तथा स्त्री को ४ माह १० दिन शोक मनाने की अनुमति है।

हज़रत उम्मे सलमा से वर्णित एक हदीस में है कि एक महिला नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के पास आई तथा कहा कि मेरी पुत्री का पति मर गया है तथा उसकी आंख में पीड़ा हो रही है, क्या हम उसकी आंख में सुर्मा लगा सकते

हैं? नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने दो या तीन बार कहा, पुनः कहा कि अमानवीय युग में तो स्त्री एक वर्ष तक पति का शोक मनाती थी।

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को इस बात का ज्ञान था कि सुर्मा लगाने की अनुमति बनाव श्रृंगार के उद्देश्य से ली जा रही है, इसलिये आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने आज्ञा नहीं दी। इमाम मालिक ने मुवत्ता में इसको लिखा है कि रात में सुर्मा लगाने की अनुमति है, परन्तु शर्त यह है कि दिन होते ही इसे धो दिया जाये।

रोने चिल्लाने पर रोक

हज़रत नोमान बिन बशीर रजियल्लाहो तआला अन्हो का कथन है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन रबाह पर बेहोशी छाई तो उनकी बहन ने रोना तथा उनके गुणों का वर्णन करना आरंभ किया, जब अब्दुल्लाह की बेहोशी में कमी हुई तो उन्होंने बहन से कहा कि तुम जब गुणों का वर्णन करके हाय हाय करती थी तो फरिश्ता मुझसे पूछता था कि क्या तुम ऐसे ही हो?

हज़रत उम्मे सलमा का कथन है कि जब अबू सलमा रज़ियल्लाहो तआला अन्हो की मृत्यु हुई तो मैंने कहा कि अबू सलमा ने विदेश में मौत पाई है। मैं उन पर खूब रोऊंगी, रोने में मेरी सहायता के लिए एक और महिला आ गई। उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने देखा तो कहा कि क्या तुम ऐसे घर में शैतान को प्रवेश कराना चाहती हो, जिससे अल्लाह तआला ने उसे निकाल दिया है? उम्मे सलमा कहती है कि यह सुनकर मैंने रोना समाप्त कर दिया।

हज़रत अबू बुरीदः रज़ियल्लहो तआला अन्हो से वर्णित है कि हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बीमार थे। उनका सिर परिवार की एक महिला की गोद में था जो चिल्ला रही थी। उस स्थिति में अबू मूसा उसे कुछ कह नहीं सकते थे, परन्तु जब स्थिति में कुछ सुधार हुआ तो कहा कि जिस व्यक्ति से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम उदासीन हैं उससे मैं भी उदासीन हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम जोर से रोना पीटना करने वाली, दुख के समय बाल मूडने वाली तथा कपड़े फाड़ने वाली महिला से उदासीन हैं।

सन्तान की मृत्यु पर संतोष

जीवन में दुःख-सुख के सामंजस्य से प्रकृति ने सन्तुलन स्थापित किया है। दोनों प्रकार की स्थिति का सामना करने के पश्चात मनुष्य का चरित्र निखरता है तथा उसके व्यवहार में सरलता उत्पन्न होती है।

वैवाहिक जीवन में माता-पिता के लिए सन्तान का बहुत महत्व है। घर में सन्तान से प्रसन्ता एवं सौभाग्य का आभास होता है। परन्तु परीक्षा की वह घड़ी बड़ी कठिन होती है जब सन्तान कम उम्र में मर जाती है। इस प्रकार की घटना में मनुष्य को यह आभास होता है कि उसके चमन की कुछ कलियां बिना खिले मुरझा गयीं। कमज़ोर हृदय तथा असाहसी माता-पिता विशेषकर इस प्रकार की घटनाओं पर अत्याधिक प्रभावित होते हैं तथा कभी-कभी उनका जीवन निराशाजनक हो जाता है। विशेष रूप से महिलाओं पर इस प्रकार की घटनाओं का अत्याधिक प्रभाव पड़ता है। परन्तु साथ ही इस प्रकार के दुःख को सहने तथा किसी घटना के बाद अल्लाह तआला पर विश्वास एवं आस्था रख कर साहसपूर्ण जीवन का आरम्भ करने में महिलाओं की भूमिका अति महत्व

रखती हैं। यदि पत्नी, पति को सांत्वना एवं सन्तोष दिलाये तो दोनों पुण्य के भागी होंगी तथा घर का वातावरण भी सुखमय होगा। इसलिए इस्लाम ने सन्तान की मृत्यु पर महिलाओं को विशेष रूप से सन्तुलित व्यवहार की शिक्षा दी है।

'सहीहैन' की एक हदीस में अबू सईद खुदरी का कथन है कि नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के पास एक स्त्री आई तथा कहा कि हे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम आपकी सभा में केवल पुरूषों को ही अभिभाषण तथा उपदेश सुनने का अवसर मिलता है तथा हम महिलायें इससे वंचित रह जाती हैं, आप हम लोगों के लिए एक दिन शिक्षा के उद्देश्य से निश्चित कर दें। आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने दिन तथा स्थान निश्चित कर दिया। जब महिलायें एकत्र हुयीं तो आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम आये तथा शिक्षा एवं अभिभाषण में कहा कि जिस स्त्री के जीवन में तीन बच्चे मर गये तथा उसने सन्तोष एवं धैर्य धारण किया तो वह बच्चे उसे नरक से बचाव का साधन बनेंगे। एक महिला ने पूछा कि जिसके दो बच्चे मरे हों? आप स० ने कहा कि उसके लिये भी शुभ समाचार है।

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस के ज़ेरे एहतमाम

21वाँ आल इंडिया मुसाबक़ा

हिफ्ज़ व तजवीद और तफसीर

कुरआन करीम

दिनांक 4-5 अक्टूबर 2025

शनिवार-रविवार

स्थानः डी-254, अहले हदीस

कम्लेक्स ओखला, नई दिल्ली-25

रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 28 सितंबर 2025

एक उम्मीदवार केवल एक ही

श्रेणी में भाग ले सकता है फार्म मर्कज़ी

जमीअत की वेब साइट

www.ahlehadees.org से डाउन लोड किया

जा सकता है।

अधिकृत जानकारी के लिये सम्पर्क करें।

मुसाबका हिफ्ज व तजवीद व तफसीरे कुरआन कमेटी

011-23273407, 9213172981, 8744033926

Email.

Jamiatahlehadeeshind@hotmail.com

दहेज की रोक थाम कैसे की जाये

लेखकः मौलाना समर सादिक रियाजी

इस्लाम ने शादी विवाह, प्रक्रिया को आसान और कम खर्च बनाने का आदेश दिया है ताकि लड़के और लड़की के अभिभावको (सरपरस्तों) को अपनी लड़की के विवाह में कोई दिक्कत और परेशानी ना हो, इसका लाभ यह है कि इससे समाज व्यभिचार और दूसरी बुराइयों से बच जायेगा। लेकिन दहेज की रस्म ने गरीब तो गरीब अच्छों अच्छों की कमर तोड़ दी है। इस मजमून में जहेज से संबन्धित समस्याओं पर चर्चा करने के साथ साथ उपचार और समाधान भी बताया गया है। मजमून के किसी भाग या बात से पाठकों को आपत्ति हो सकती है लेकिन फाजिल लेखक ने दहेज के लालचियों की पोल खोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, यह लेख दहेज के खिलाफ उठ खड़े होने की दावत देता है। दहेज इस वक्त के ज्वलंत समस्याओं (सुलगते मसाइल) में से एक है, जिस पर ओलमा को भर पूर ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि इस रस्म ने समाज को बहुत नुक्सान पहुचाया है। उम्मीद है कि यह मजमून सब के लिये लाभदायक होगा।

(संपादन प्रभाग)

हमारे समाज में कुछ रिवाजों ने इस तरह घुसपैठ बना ली है कि इस्लाम की साफ सुथरी छवि भी धूमिल हो गयी। कुछ लोगों को छोड़ कर हर शख्स इन रस्मों में इस तरह फंस गया है कि उसने यह अन्तर ही मिटा दिया है कि इन रस्मों का इस्लाम से भी कोई संबन्ध है कि नहीं? बल्कि यह भी समझा जाने लगा है कि इस्लाम का इन रस्मों से कोई टकराव नहीं बल्कि उसके अनुकूल है। अफसोस तो इस बात पर है कि अवाम तो अवाम पढ़े लिखे लोगों पर भी इन रस्मों का ऐसा जादू चला कि वह भी, सही, और गलत में फर्क से महरूम (वंचित) हो गये। इस लेख में समय की एक बुरी रस्म दहेज की कुर्आन व हदीस और सहाबा के रहन सहन की रोशनी में समीक्षा की गयी है? इस बात पर ज्यादा जोर डाला और छान बीन की कोशिश की गयी है कि क्या वास्तव में इस का इस्लाम से कोई संबन्ध है।

अल्लाह कुर्आन में फरमाता है ''ऐ मोमिनो आपस में एक दूसरे का माल बातिल तरीकों से ना खाओ'' शब्द ''बातिल'' में जाल साज़ी, मक्कारी सूद और जोर जबरदस्ती की तमाम सूरतें शामिल हैं और जहेज़ भी माल समेटने का एक ऐसा तरीक़ा है जिसकी इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है बल्कि जहेज़ के नाम पर एक दूसरे का माल खाने में जोर जबरदस्ती भी है और हीला और मक्कारी भी, रसूल स० के आदर्श से लापरवाही और सहाबा के तरीकों की तौहीन और दूसरों का अनुसरण भी है।

इसमें किसी का मतभेद (इख्तेलाफ) नहीं है कि जहेज़ की मांग बिलकुल हराम और अवैध है लेकिन क्या बिन मांगे जहेज के नाम पर मिलने वाला सामान सूफा, वाशिंग मशीन कूलर, फ्रीज साइकिल कार

और कैश लेने की इजाज़त इस्लाम देता है। हम तमाम मुसलमानों के लिये जरूरी करार दिया गया है कि अपने तमाम मामलात में मुहम्मद स० के जीवन को माडल बनायें। जैसा कि अल्लाह फरमाता है ''तो जो लोग अल्लाह और क्यामत पर यकीन रखते हैं उनके लिये अल्लाह के रसूल मुहम्मद स० की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है'' इसलिये मुहम्मद स० की जिंदगी का मुतालआ (अध यन) करते हैं कि क्या नबी स० ने अपनी लड़की दामाद या समधी को शादी के मौके पर कुछ दिया या खुद अपनी शादी के मौके पर बिन मांगे जहेज के नाम पर कुछ लिया? छिछोरपन पर उतरे कुछ लालची आरोप (इलजाम) लगाते हैं कि नबी स० ने हजरत फातिमा को उनकी शादी के मौके पर जमाने के अनुसार जहेज (दहेज) दिया था इसलिये अगर कोई शख्स अपनी खुशी से वक्त और जरूरत के मुताबिक गाड़ी घोड़ा रूपये पैसा देता है तो कोई हर्ज की बात नहीं है, यह आप पर और आप के इंसाफ पर बड़ा झूठा आरोप है। यह कैसे मुम्किन है कि इंसाफ वाहक मुहम्मद० स० फातिमा को जहेज का सामान दें और दूसरी बेटियों को इससे महरूम (वंचित) करें ऐसा वही कर सकते हैं जो अपने मकसद को पूरा करने के लिये जहेज के बैक ग्राउंड और असबाब से मुंह फेरते हैं अथवा उपेक्षा करते हैं। हकीकत यह है कि आपने हज़रत फातिमा को उनकी शादी के मौके पर कुछ छोटी मोटी चीज़ें इस लिये दी थीं कि आप हजरत अली के सरपरस्त (अभिभावक) थे और हजरत अली के पास घर बसाने के लिये कुछ नहीं था आपने बाप की हैसियत से अली को घर बसने के लिये थोड़ी मोड़ी सामग्री (सामान) दिया था। मतलब यह है कि यह कुछ चीज़ें जिन्हें जहेज़ का नाम दिया जाता है फातिमा को नहीं बल्कि असल में हजरत अली को सहायता के तौर पर दिया था क्योंकि अगर आप ने फातिमा को जहेज दिया होता तो इंसाफ के मुताबिक अपनी तमाम बेटियों को जहेज देते। फर्ज की जिये अगर मुहम्मद स० ने अपने दामाद या बेटी को जहेज का कुछ सामान दिया था तो यह दलील पकड़ी जा सकती है कि अगर किसी का दामाद गरीब हो, परेशान हाल हो और बाप की छाया से महरूम (वंचित) हो तो उसको जहेज दिया जा सकता है लेकिन लोग ऐसे गरीब और बेमाल वालों के यहां शादी करने के लिये क्यों नहीं सोचते, उनकी निगाह ऊपर ही उठती है और इच्छा यह होती है कि कोई खाते पीते घराने का रिश्ता मिल जाये तो उसके यहां अपनी बेटी का रिश्ता लगा दें चाहे इसके लिये जमीन ही क्यों न बेचनी पड़े, कर्ज से दब जाना पड़े, तब भी पीछे नहीं हटेंगे। मेआर और कसौटी में कितना अंतर है। एक तरफ मुहम्मद स० एक गरीब परेशान हाल को सहारा देना चाहते हैं कि एब घर आबाद हो जाये और दूसरी तरफ खुशी के नाम पर जहेज इस लिये दिया जा रहा है कि उसकी बेटी ठाट बाट की जिंदगी गुजारे और हर तरफ से उसकी तरफ से दिये जाने वाले जहेज की खूब चर्चा हो जाये। अगर मुसलमान होने का दावा है तो क्यों नहीं नबी के जीवन को आदर्श बनाते और क्यों नहीं सलफे सालिहीन के नक्शे कदम पर चलना अपनी सफलता समझते। उनकी शादियों में परेशानी, ताम झाम और महीनों से

तैयारी दूर दूर तक नजर नहीं आती है। रिश्ता पसंद हो जाने के बाद शादी हो जाती, लेन देन शादी में रूकावट नहीं बनता किसी गरीब की बेटी पैसा ना होने के सबब अपने बाप के घर बैठी बूढ़ी नहीं होती शादियों में नबी के आदर्श से मुंह मोड़ने का अंजाम हम भुगत रहे हैं। इबाहियत (जायज है, कोई गुनाह नहीं मिलेगा) का फितना समाज को खोखला कर रहा है। मुहम्मद स० ने सच फरमाया ''जब तुममें से कोई शादी का संदेश दे जिसकी दीनदारी और चरित्र से तुम राज़ी हो जाओ तो उसकी शादी कर दो, अगर ऐसा नहीं किया तो जमीन में फसाद (बिगाड़) पैदा हो जाये गा''।

यहां पर एक ऐसे शख्स की शादी का वर्णन (जिक्र) किया जा रहा है जिन्होंने मालदार होने के बावजूद बड़ी सादगी से अपनी शादी रचाई उस महान व्यक्ति का नाम अब्दुर्रहमान बिन औफ़ है। इनकी शादी की खबर नबी स० को भी नहीं हो पायी एक दिन आप की निगाह अब्दुर्रहमान बिन औफ पर पड़ी उनके कपड़े पर लगे जाफरानी रंग को देख कर पूछा तो कहा कि मैं शादी कर ली है, फिर आप ने पूछा कि महर कितनी दी है? उन्होंने कहा कि एक नवात सोना, इस पर सिर्फ इतना कहा कि वलीमा कर देना चाहे एक बकरी ही क्यों ना हो। यह नहीं पूछा कि जहेज के समान में क्या क्या मिला और ना यह शिकायत की कि तुम मुझे बारात क्यों नहीं ले गये। एक ऐसा आदमी जिस पर सहाबा जान निछावर करने के लिये तैयार रहेते थे, उनको बारात की दावत ना देना हमको क्या पैगाम देता है? इसका मतलब यही ना हुआ कि नबी स० और सहाबा की शादियों में बारात का तसव्वुर ही नहीं था। आज कल अगर किसी करीबी रिश्तेदार ही नहीं बल्कि किसी आम आदमी को बारात की दावत ना दें तो मुंह लटका ले गा और सबसे शिकायत करता हुआ आपके वलीमे का बायकाट करेगा।

बारात पर जब आलोचना की जाती है और कहा जाता है कि चार छः लोग जाकर लड़की को ले आयें तो कुछ स्वार्थी लोग इस आलोचना का यह जवाब देकर बारात ले जाने का फतवा जारी करते हैं कि अगर कोई शख्स खुशी से बारात बुलाता और दावत खिलात है तो बारात पर बेतुका एतराज नहीं करना चाहिये, लेकिन दावत खिलाने का इतना शौक है तो गांव के सौ दो सौ गरीबों को दावत खिला कर या हर दिन दो चार गरीबों को खाना खिलाकर दावत खिलाने का शौक क्यों नहीं पूरा करता, क्या बारातियों को दावत खिलाने पर सवाब मिलेगा और गरीबों को खिलाने पर अजाब और फिर हमारा यह सवाल है कि आखिर चार छः लोगों को बारात जाने या ले जाने का सुबूत कहां से मिल गया? ऐसे लोग कुर्आन और हदीस का हवाला या सुबूत मांगते हैं! वही बतलायें कि हम बतलायें क्या? हमारा कहना है कि चार छः लोगों को खाना लिखाना किसी के लिये भी मुश्किल नहीं है चार छः लोगों का जाना फर्ज और वाजिब नहीं सिर्फ दुल्हा और उसका बाप चला जाये सिर्फ दुल्हा चला जाये या सईद बिन मुसय्यब की तरह दुलहन का बाप ही उसे दुल्हा के घर छोड आये। रही बात पचास साठ बारातियों की तो क्या कोई खुशी से यह अजाब सहने के लिये तैयार है, खुशी नहीं मजबूरियां सुख नहीं, बल्कि यह

रस्म व रिवाज की मेहरबानी है कि खुशी के नाम पर वह बारात बुलवाने पर तैयार हो जाता है, लेकिन आम तौर से लड़के वाले दबाव डालते हैं हम इतने बाराती आयेंगे और बहुत से लड़के वाले इतने बेशर्म होते हैं जो खाने की मांग करने के अलावा अपने करीबी रिश्तेदारों के लिये वेदाई की भी मांग करते हैं यह मांग भी लड़की का सरपरस्त (अभिभावक) खुशी से सहन कर लेता है ऐसे लोग कितने घटिया और गिरे हुये हैं, यह दूसरे के गाढ़े पसीने की कमाई से शोहरत और नाम कमाना चाहते हैं आम तौर से देखने में आता है कि कई तरह के खाना खाकर लौटने वाले को सुबह अपने घर पर वलीमे में गोश्त की दो बोटियां भी नसीब नहीं होती, परेशान दिखायी देता है, ऐसा लगता है कि सारी खुशी और पैसे की रेल पेल लड़की के बाप को हासिल है और लड़के का बाप गम और बदनसीबी में घिरा हुआ है। और अगर वेदाई लेने की इतनी आरजू है तो लड़के का बाप लड़की के बाप को दस बीस हजार रूपये दे दे कि मेरे रिश्ते दारों को वेदाई दे देना खूब इज्जत मिल जायेगी मगर यहां शोहरत दूसरों की दौलत पर हासिल की जा रही है। कहने का मतलब यह है कि लड़की का बाप यह तमाम मुतालबा मजबूर होकर खुशी के नाम पर मान लेता है। उन खाते पीते घरानों का कोई एतबार नहीं होगा जो अपनी दौलत दिखाने के लिये बाारात लाने और जहेज भी देने की जिद करते हें जब कि वह झूठे होते हैं उनको अपनी बेटी को विरासत का हक देने के बारे में कोई चिंता नहीं होती है और ना अपने बेटों को उन का हिस्सा देने की वसिय्यत करते हैं और भाइयों के कबजा करने के चलन को देखते हुये ना ही उनका हिस्सा दिलाने का कोई इंतेजाम करते हैं। एक ऐसी चीज (बारात जहेज) जिसका इस्लाम से कोई संबन्ध नहीं उसके लिये इसरार और सिफारिश करना और इस्लाम के एक हुक्म (वरासत) को पैरों तले रौंद डालना क्या दीन से लापरवाही नहीं है?

बारात ले जाने के पचधर ओलमा से एक सवाल करते हैं कि उन चोर बारातियों के खाने का हिसाब किस की गर्दन पर जायेगा जो बुलाये नहीं जाते मगर लड़के वाले उसे भी साथ ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर यह तय होता है कि सौ बाराती आयें गे लेकिन २५ या ५० ज्यादा पहुंचते हैं अब वही बतायें कि इन २५ और ५० चोर बारातियों का हिसाब किस के जिम्मे होगा। लेकिन लड़की का बाप यह मुसीबत भी हंसी खुशी कुबूल कर लेता है और अगर इस को मानने से इंकार कर दे तो बात बिगड़ सकती है क्या खैरूल कुरून के मुसलमान बारात जैसी खुराफात से आगाह थे अगर यह नेकी और भलाई की बात होती तो वह यह काम करने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते। कहने का मतलब यह है कि खुशी के नाम पर लड़की के सरपरस्त ही को हर बोझ बर्दाश्त करना पड़ता है जब कि लड़की के बाप का दिल बेटी को भेजने के तसव्वुर से ही चूर चूर हो जाता है, जो शख्स अपने दिल के टुकड़े को एक अंजानी जगह के लिये भेज रहा हो वह भला खुश क्यों होगा? खुश नहीं होता बल्कि अनेकों शंका और भय से दुखी होता है जिसका इजहार अपनी सजल (डबडबायी) आखों से करता है। खुश तो लड़का और उसका बाप होता है जो बगैर किसी

मेहनत एक अनमोल चीज़ उनको मिल जाती है इसलिये लड़के वालों को लड़की के रिश्तेदारों और गांव वालों को अपने घर बुलाकर खाना खिलाना चाहिये ना कि लड़की वालों को, घरेलू सामान लड़के वालों की तरफ से लड़की के बाप को दिया जाना चाहिये ना कि लड़की के बाप की तरफ से। लड़की के बाप ने अपने दिल के टुकड़े को लड़के बालों के हवाले करके उन पर बड़ा उपकार किया है इस लिये लड़के वालों को इस उपकार (एहसान) का बदला कुछ ना कुछ देकर चुकाना चाहिये और लड़के के अपने घर वालों से जुदाई के बाद घर वालों को दुख होता है उसकी भरपाई के लिये कोशिश करनी चाहिये और लड़की को पैर की जूती ना समझ कर आंखों का तारा बनाना चाहिये। एहसान का बदला तो सिर्फ एहसान से ही दिया जा सकता है। लेकिन यहां तो मामला बिलकुल उलटा है कि वह लड़की भी दे रहा है और उसी को लूटा भी जा रहा है। जाहिलियत के दौर की तरह हमारे समाज में लड़कियों की हैसियत जूते चप्पल जैसी भी नहीं अगर कोई किसी को तोहफा के तौर पर एक जोड़ी चप्पल दे दे तो तोहफा देने वाले के लिये लेन वाला का दिल नर्मी और शुकिये के जजबात और भावना से भर जाता है लेकिन लड़की जैसी अनमोल चीज मिलने के बाद उससे अधिकृत चीजों की मांग करना इस बात की दलील है कि लड़कियों की हैसियत यकीनन जूते चप्पल से भी गिरी हुयी है। **(जारी)**

अनुवादः नौशाद अहमद

मर्कजी जमीअत अहले हदीस हिन्द की पत्रिकाओं का सदस्य बनाने के लिये सहयोग करें।

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर है। जमीअत के तीन आर्गन निरंतर प्रकाशित हो रहे हैं।

जरीदा तर्जुमान पाक्षिक (उर्दू) 150 वार्षिक

इस्लाहे समाज मासिक (हिन्दी) 100 वार्षिक

दी सिम्पल ट्रुथ मासिक (अंग्रेज़ी) 100 वार्षिक

खुद भी पढ़ें और दूसरों को खरीदार बनवायें। यह एक मिशन है जिसको कामयाब बनाना हम सब की संयुक्त ज़िम्मेदारी है।

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की कार्यसमिति के सत्र में पहलगाम में आतंकी हमले की कड़ी निन्दा, सऊदी अरब के क्षेत्र में परिस्थितियों को रूटीन पर लाने के प्रयासों की प्रशंसा (दूसरी व आख़िरी क़िस्त)

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के अध्यक्ष मौलाना असग़र अली इमाम महदी सलफी की अध यक्षता में मर्कज़ी जमीअत की कार्यसमिति का सत्र आयोजित हुआ जिस में देश के अधिकांश राज्यों से कार्यसमिति के सदस्यगण, राज्य इकाइयों के पदधारी और विशेष आमंत्रित सदस्यों ने बड़ी तादाद में प्रतिभाग लिया।

सत्र से संबोधित करते हुए मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के अध्यक्ष मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी ने कुरआन व हदीस का अनुसरण, एकता, परहेगज़गारी, भाईचारा, अच्छे आचरण और मध्यमार्ग की अहमियत और सार्थकता पर प्रकाश डाला और सामप्रदायिक सौहार्द, मानव-मित्रता और इस्लाम की बहुमूल्य और उज्जवल शिक्षाओं से देश बंधुओं को परिचित कराने की आवश्यकता पर विशेष रूप ज़ोर दिया हर तरह के आतंकवाद, अशान्ति, धार्मिक नफ़रत और उत्तेजना की कड़े शब्दों में निन्दा की और समुदाय को संयम, हिम्मत, मनोबल और बुद्धिमत्ता के साथ बेहतरीन समुदाय होने का कर्तव्य निभाने का उपदेश दिया।

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के महा सचिव मौलाना मुहम्मद हारून सनाबिली ने अपने स्वास्थ के बेहतर न होने के बावजूद सत्र में प्रतिभाग लिया और मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की कार्यकरदगी और कांफ्रेन्स की रिपोर्ट पेश की जिसकी सदस्यों ने पुष्टि की और मौलाना के स्वास्थ के बेहतर होने पर हर्ष व्यक्त किया। इसके बाद मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के कोषाध्यक्ष हाजी वकील परवेज़ ने जमीअत व कांफ्रेन्स के हिसाबात पेश किये। जिनपर हाउस ने संतुष्टि व्यक्त की। इस सत्र में मानवता, राष्ट्र, व समुदाय और विश्व समस्याओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रस्ताव और क़रारदाद पास हुए।

क़रारदाद का मूल लेख यह है।

❑ कार्य समिति के इस सत्र का एहसास है कि बढ़ती मँहगाई, बेरोज़गारी, असाक्षरता और असुरक्षा देश की संगीन समस्याएं हैं इनका समाधन किये बिना देश का विकास संभव नहीं अतः यह सत्र सरकारों और तमाम राजनीतिक पार्टियों से अपील करता है कि उपर्युक्त समस्याओं के समाधान में प्रभावी भूमिका अदा करें इसी तरह से सत्र जनता से अपील करता है कि वह नफरत की खेती करने वालों और

समाज को बांटने वालों से होशियार रहें और एकजुट हो कर मौजूदा हालात में सामूहिक एवं आर्थिक समस्याओं पर ध्यान दें और नफरत की सियासत को एक तरफ करके आपसी भाईचारा को विकसित करें और विकास कार्यों को मुददा बनायें।

❑ आपसी भाईचारा, राष्ट्रीय एकता, आपसी सहयोग व हमदर्दी, एक दूसरे के दुख दर्द में साझीदार रहना प्रिय देश के वासियों की प्राचीन पहचान रही है जिसने देश की आज़ादी और निर्माण व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है लेकिन बाज गलत तत्व निराधार बयानात दे कर और गलत ढंग से तारीख गढ़ कर देश की इस पहचान को खतम करने के दरपे हैं। ऐसे में कार्य समिति का यह सत्र लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया से अपील करता है कि वह ऐसे बयानात और तक़रीरों को कवरेज न दें जो देश की बदनामी और समाज में मानसिक उलझन का सबब बनते हैं बल्कि इसे अपनी ज़िम्मेदारी ईमानदाराना तरीक़े से निभानी चाहिए ताकि इसकी प्रतिष्ठा और एतबार दोनों क़ाइम रहे।

कार्य समिति का यह सत्र पहलगाम आतंकी घटना की सख्त निन्दा करते हुए इस घिनावने अमल के अपराधियों को सख़्त से सख़्त सजा देने की मांग करता है और अपने इस दृष्टिकोण का अनुमोदन करता करता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता इस लिये इसको किसी खास समुदाय से जोड़ना सरासर गलत है और कश्मीरी भाइयों ने जिस तरह से आतंकवादियों से मुक़ाबला किया और जान की बाज़ी लगाई और मरने वालों और हताहतों के साथ बेहतर व्यवहार किया और मसाजिद से लेकर सड़कों तक आतंकवादियों के खिलाफ आवाज़ उठाई और निन्दा की इसको यह प्रशंसा की निगाह से देखता है। इसके अलावा यह सत्र सरकार से मांग करता है कि वह कश्मीर में प्रयटकों और अन्य यात्रियों और वहां के वासियों के जान व माल की सुरक्षा के लिये सख्त प्रबन्ध करे और समाज दुश्मन तत्वों को इस असुगम वाक़आ का बहाना बना कर अम्न व अमान की स्थिति को बिगाड़ने की हरगिज़ इजाज़त न दे। इसके अलावा यह सत्र इन कश्मीरियों का भी दिल की गहराइयों से शुक्रगुज़ार है जिन्होंने जान को जोख़म में डाल कर प्रयटकों की मदद की और मानवतावाद का हक़ अदा किया लेकिन अफसोस कि मीडिया से इसे पूरी तरह से कवरेज नहीं मिला और मीडिया ने इसे नकारात्मक दिशा देने की कोशिश की।

❑ कार्य समीति का यह सत्र मादक पदार्थों के बढ़ते इस्तेमाल, औरतों की वरासत से महरूमी, जहेज़ के बढ़ते रूजहान, नौजवानों के द्वारा सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल, अश्लीलता, आत्महत्या और औरतों के शोषण की विभिन्न सूरतों पर चिंता व्यक्त करते हुए सरकारों और अवाम से अपील करता है कि महिलाओं को हर तरह से सुरक्षा प्रदान किया जाये और ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाये जो इसे पहनावे की आड़ में भयभीत करने का प्रयास का रहे हैं।

❑ कार्य समिति का यह सत्र क़ौम व मिल्लत के समृद्ध और मालदार लोगों से दर्दमन्दाना अपील करता है कि वह ऐसी स्टैण्डर्ड शैक्षणिक

संसाथाओं की स्थापना को सुनिश्चित बनायें जहां धार्मिक पहचान को बाक़ी रखते हुए बिना किसी रूकावट के हमारी शैक्षणिक ज़रूरत पूरी हो सके और ख़ास तौर से हमारी बच्चियां सह शिक्षा के नुक्सानात से सुरक्षित रह सकें क्योंकि शिक्षा की अहमियत, उपयोगिता और आवश्यकता हर जमाने में आवश्यक रही है इसके बिना विकास संभव नहीं।

❑ मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्दी की कार्य समिति का यह सत्र ३५वीं आल इंडिया अहले हदीस कांफ्रेन्स को शीर्षक, जगह और उददेशों की प्राप्ति, श्रोतागण, कलमकारों हर हैसियत से कामयाबतरीन क़रार देता है।

❑ कार्य समिति का यह सत्र मर्कज़ी जमीअत अहले अहदीस हिन्द के द्वारा १५वें रेफ्रेशर कोर्स के आयोजन को समय की अहम ज़रूरत क़रार देते हुए मर्कज़ी जमीअत की क़्यादत को उसके आयोजन पर बध ाई देता है और उम्मीद करता है कि इस तरह के प्रोग्राम आयोजित किये जाते रहेंगे, ताकि देश स्तर पर इमामों और प्रचारकों की तर्बियत इस अन्दाज़ में की जाये कि वह मानव सेवा के मैदान में विशिष्ट भूमिका अदा कर सकें।

❑ कार्य समिति का यह सत्र भारत सऊदी अरब के व्यवपारिक संबन्ध को दोनों देशों के लिये सुगम क़रार देते हुए इसका स्वागत करता है।

❑ कार्य समिति के इस सत्र का एहसास है कि जंग किसी भी समस्या का समाधान नहीं दोनों पक्ष वार्ता के द्वारा विवादास्पद मामलों को हल कर लेना चाहिए क्योंकि दुनिया भूतपूर्व में होने वाली जंगों का खतरनाक परिणाम देख चुकी है और गलोबलाईजेशन के दौर में जंग से दो पक्ष ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया प्रभावित होती है।

❑ यह सत्र सीरिया की अत्याचारी सरकार के अन्त पर संतुष्ट व्यक्त करता है लेकिन इजराईल के द्वारा सीरिया की एकता, व सुरक्षा को नुक्सान पहुंचाने अकारण उसके प्रतिष्ठानों पर बमबारी और उसके क्षेत्रों पर क़ब्जा को जालिमाना कार्रवाई और विश्व कानून की खुल्लम खुल्ला उल्लंघन तसौउर करता है और विश्व समुदाय से अपील करता है कि वह उसके जालिमाना सामराजी एरादों एवं संकल्पों से बाज़ रखें।

❑ कार्य समिति का यह सत्र इजराईल के द्वारा गज्जा जंग बन्दी संधि की खिलाफ वर्जी और उसके निहत्थे वासियों पर लगातार बमबारी और मानवीय सहायत रोक कर भूख प्यास से तड़प तड़प कर मरने पर मजबूर करने को सामूहिक नरसंहार और इस समय का संगीनतरीन त्रासदी करार देते हुये विश्य जगत से फलस्तीन मसले को जल्द से जल्द हल करने और फलस्तीन के अवाम के संवैधानिक अधिकारों को सुनिश्चित बनाने की अपील करता है।

❑ मर्कज़ी जमीअत का यह सत्र जमाअत, समुदाय और समाजी शख्सीयतों के निधन पर गहरे दुख का इज़हार करता है और दुआ करता है कि अल्लाह तआला इनकी नेकियों को कुबूल करे और उनको जन्नतुल फिरदौस में ऊंचा मक़ाम दे। आमीन

❑❑❑

(प्रेस विज्ञप्ति)

उत्तराखंड में बादल फटने से भारी जानी व माली नुकसान दुखद, राहत कार्य में तेज़ी लायी जायेः

मौलाना असग़र अली इमाम महदी सलफ़ी

दिल्ली ८ अगस्त २०२५

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के सम्माननीय अध यक्ष मौलाना असग़र अली इमाम महदी सलफ़ी ने अपनी एक प्रेस रिलीज़ में उत्तराखंड के उत्तर काशी में बादल फटने के कारण से आये तबाह कुन सैलाब से जो भारी जानी व माली नुकसान हुआ है और देश के विभिन्न भागों में ज़मीन धसने की घटनाओं पर अपने गहरे दुख का इज़हार किया है। और इसे राष्ट्रीय स्तर की त्रासदी क़रार दिया है। अचानक आये इस भारी सैलाब से जो तबाही आई है और जिससे धरावी गाँव में बड़ी तादाद में घर, होटल और पूरी की पूरी बस्तियाँ बह गयी हैं, उसने क़ियामत का दृश्य पेश किया है। तबाह बस्तीयों में अब भी कुछ लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। जिसके लिए राज्य और केन्द्र

और प्रभावित क्षेत्रों के वासियों से अपील की है कि इन कठिन हालात में वह संयम का प्रदर्शन करें। और आपसी भाईचारा एवं आपसी सहयोग का विशेष ख्याल रखें।

सरकारों को राहत कार्यों के कामों में और ज़्यादा तेज़ी लाने और तुरन्त इक़दामात करने की ज़रूरत है।

मर्कजी जमीअत के अध यक्ष महोदय ने अपनी प्रेस रिलीज में इस प्राकृतिक आपदा के प्रभावितों से संवेदना व्यक्त की है और अपनी प्राचीन परम्परा के अनुसार हर तरह के सहयोग और रिलीफ के लिये तैयार है। और प्रभावित क्षेत्रों के वासियों से अपील की है कि इन कठिन हालात में वह संयम का प्रदर्शन करें। और आपसी भाईचारा एवं आपसी सहयोग का विशेष ख्याल रखें। इसके अलावा राष्ट्र के सभी सुभचिन्तकों से बिना धर्म व समुदाय के अन्तर के अपील की है कि वह दुखग्रस्त लोगों से सौहार्द व्यक्त करते हुए विपदा की इस घड़ी में उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें साथ ही राज्य और केन्द्र सरकारें जो राहत कार्य में काफी उत्सुक नज़र आ रही हैं और उन्होंने फौज एन डी आर एफ, एस डी आर एफ और अन्य ऐजेंसियों की तैनाती कर दी है जो एक ज़रूरी और प्रशंसनीय इक़दाम है। इसके अतिरिक्त मांग की है कि प्रभावितों के राहत कार्य, पुनर्वास और नुकसान के

मुआवज़े के सिलसिले में उचित इकदामात करें इसमें किसी तरह की लापरवाही न बरती जाये। और प्रशासन को पूरी तरह चौकस कर दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय ने अपने बयान में कहा कि इतने बड़े पैमाने पर इस तरह के आपदा एवं घटनायें प्राकृतिक व्यवस्था के साथ छेड़ छाड़ का नतीजा भी हो सकते हैं। इसी तरह से दरख्तों की कटाई और ज़मीनों की बेतहाशा खोदाई, पहाड़ों और नदियों में अंधाधुन्ध परिवर्तन और विभिन्न प्रकार के प्रदूषर्ण के फैलाव भी प्राकृतिक आपदा का सबब बनते हैं। और इस तरह के आपदा धरती पर हम मानव के अत्याचार और पापों के साधारण होने की वजह से भी आते हैं और अधिकतर पाठ प्राप्त करने और भविष्य में होशियार रहने के लिये भी आते हैं। अतः बन्दों को चाहिये कि वह अल्लाह तआला की समीप्ता प्राप्त करें और अपने पापों से तौबा और क्षमा याचना करें।

जारी कर्ताः मर्कज़ी जमीअ़त अहले हदीस हिन्द

पृष्ठ २ का शेष

कि वे अल्लाह की पकड़ से बच जाएंगे। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहू अलैहि व सल्लम) ने हदीस में चेतावनी दी है कि उन्हें आखरित में इस सजा का सामना करना पड़ेगा। बहुत से लोग झूठ और झूठी गवाही को मामूली समझते हैं, जबकि गवाही, चाहे छोटी हो या बड़ी, का अपना प्रभाव होता है। एक झूठा गवाह दूसरे का सम्मान भी ले सकता है, एक झूठा गवाह दूसरे की जान भी ले सकता है। हर मोमिन को यह तथ्य भी जानना चाहिए। यह अफसोस की बात है कि लोग स्वार्थ में इतने लिप्त हो गए हैं कि उन्हें यह एहसास नहीं है कि झूठी गवाही देकर वे न केवल अल्लाह की सजा के हकदार बन रहे हैं बल्कि दूसरों के जीवन, संपत्ति और सम्मान के साथ भी खेल रहे हैं। इसके विपरीत, इस्लाम ने सच्ची गवाही देने को प्रोत्साहित किया है – एक अवसर पर, अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा क्या मैं तुम्हें सर्वश्रेष्ठ गवाही के बारे में न बताऊँ? सर्वश्रेष्ठ गवाही वह है जो गवाही देने के लिए कहे जाने से पहले गवाही दे। (सहीह मुस्लिम) इब्ने मसऊद (रज़ियल्लाहो अन्हो) ने रिवायत किया है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा सबसे अच्छे लोग मेरी पीढ़ी के हैं, फिर उनके बाद आने वाले, फिर उनके बाद आने वाले, फिर एक पीढ़ी आएगी जिसकी गवाही उनकी कसमों से बेहतर होगी और उनकी कसमें उनकी गवाही से बेहतर होंगी। (बुखारी और मुस्लिम)

इस हदीस में सच्ची गवाही देने वालों की प्रशंसा की गई है। हम सभी को सच्ची गवाही देकर अल्लाह की निकटता के योग्य बनने का प्रयास करना चाहिए हमें उन लोगों की श्रेणी में शामिल होने का प्रयास करना चाहिए जिन्होंने सच्ची गवाही देकर अल्लाह की प्रशंसा अर्जित की है। हम अल्लाह तआला से प्रार्थना करते हैं कि वह हम सभी को झूठ से दूर रहने और झूठी गवाही देने से बचने की क्षमता प्रदान करे।

❑❑❑

गाँव महल्ला में सुबह शाम पढ़ाने के लिये मकातिब क़ाइम कीजिए मकातिब में तजवीद और कुरआन की शिक्षा का आयोजन कीजिये

हज़रात! पवित्र कुरआन इन्सानों और जिन्नों के नाम अल्लाह का अंतिम सन्देश है जो आखिरी नबी पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ जो मार्गदर्शन का स्रोत, इबरत व उपदेश का माध्यम, दीन व शरीअत और तौहीद व रिसालत का प्रथम स्रोत है जिस का अक्षर-अक्षर ज्ञान और हिक्मत व उपदेश के मोतियों से परिपूर्ण है जिस का सीखना सिखाना, और तिलावत सवाब का काम और जिस पर अमल सफलता और दुनिया व आखिरत में कामयाबी का सबब और ज़मानत है और कौमों की इज़्ज़त व जिल्लत और उत्थान एवं पतन इसी से सशर्त है। यही वजह है कि मुसलमानों ने शुरूआत से ही इसकी तिलावत व क़िरत और इस पर अमल का विशेष एहतमाम किया। हिफ्ज व तजवीद और कुरआन की तफसीर के मकातिब व मदारिस काइम किए और समाज में इस की तालीम व पैरवी को विशेष रूप से रिवाज दिया जिस का परिणाम यह है कि वह कुरआन की बरकत से हर मैदान में ऊंचाइयों तक पहुंचे लेकिन बाद के दौर में यह उज्जवल रिवायत दिन बदिन कमजोर पड़ती गई स्वयं उप महाद्वीप में कुरआन की तालीम व तफसीर तो दूर की बात तजवीद व किरात का अर्से तक पूर्ण और मजबूत प्रबन्ध न हो सका और न इस पर विशेष ध्यान दिया गया जबकि कुरआन सीखने, सिखाने, कुरआन की तफसीर और उसमें गौर व फिक्र के साथ साथ तजवीद भी एक अहम उददेश था और नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने इस की बड़ी ताकीद भी फरमाई थी।

शुक्र का मकाम है कि चन्द दशकों पहले मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द सहित विभिन्न पहलुओं से शिक्षा जागरूकता अभियान के पिरणाम स्वरूप, मदर्सों, जामिआत, और मकातिब व मसाजिद में पवित्र कुरआन की तजवीद का मुबारक सिलसिला शुरू हुआ था जिस के देश व्यापी स्तर पर अच्छे परिणाम सामने आए। पूरे देश में मकातिब बड़े स्तर पर स्थापित हुए और बहुत सी बस्तियों में मकतब की तालीम के प्रभाव से बच्चों का मानसिक रूप से विकास होने लगा लेकिन रोज़ बरोज़ बदलते हालात के दृष्टिगत आधुनिक पाठशालाओं, कन्वेन्ट्स और गांव में मदारिस की वजह से मकातिब बहुत प्रभावित हुए इस लिये मकातिब को बड़े और अच्छे स्तर पर विकसित करने की ज़रूरत है ताकि नई पीढ़ी को दीन की बुनियादी बातों और पवित्र कुरआन से अवगत कराया जा सके।

इसलिये आप हज़रात से दर्दमन्दाना अपील है कि इस संबन्ध ा में विशेष ध्यान दें और अपने गांव महल्लों में सुबह व शाम पढ़ाने के लिये मकातिब की स्थापना को सुनिश्चित बनाएं। अगर काइम है तो उनकी सक्रियता में बेहतरी लाएं, प्राचीन व्यवस्था को अपडेट करें, इन में तजवीद और कुरआन की शिक्षा का विशेष आयोजन करें ताकि जमाअत व मिल्लत की नई पीढ़ी को दीन व चरित्र से सुसज्जित करें और उन्हें दीन व अकीदे पर काइम रख सकें।

अल्लाह तआला हम सब को एक होकर दीन जमाअत व जमीअत और मुल्क व मिल्लत की निस्वार्थता सेवा करने की क्षमता दे, हर तरह के फितने और आजमाइश से सुरक्षित रखे और वैश्विक महामारी कोरोना से सबकी रक्षा करे। आमीन

अपील कर्ता

असगर अली इमाम महदी सलफी

अमीर, मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द एवं अन्य जिम्मेदारान

Posted On 24-25 Every Month
Posted At LPC, Delhi
RMS Delhi-110006
"Registered with the Registrar of Newspapers for India"

AUGUST 2025
RNI - 53452/90
P.R.No.DL (DG-11)/8065/2023-25

ISLAH-E-SAMAJ

4116, Urdu Bazar, Jama Masjid, Delhi-110006

अहले हदीस मंज़िल की तामीर व तकमील के सिलसिले में

सम्माननीय अइम्मा, खुतबा, मस्जिदों के संरक्षकों और जमईआत के पदधारियों से पुरजोर अपील व अनुरोध

अहले हदीस मंज़िल में चौथी मंज़िल की ढलाई का काम हुआ चाहता है और अन्य तीनों मंज़िलों की सफाई की तकमील के लिये आप से अनुरोध है कि आने वाले जुमा में नियमित रूप से अपनी मस्जिदों में इसके सहयोग के लिये पुरज़ोर एलान फरमायें और नीचे दिये गये खाते में रकम भेज कर जन्नत में ऊंचा मक़ाम बनाएं और इस सद-क़-ए जारिया में शरीक हों।

सहयोग के तरीक़े (१) सीमेन्ट सरिया, रोड़ी, बदरपुर, रेत (२) नक़द रक़म (३) कारीगरों और मज़दूरों की मज़दूरी की अदायगी (४) खिड़की, दरवाज़ा, पेन्ट, रंग व रोगन का सामान या क़ीमत देकर सहयोग करें और माल व औलाद और नेक कार्यों में बर्कत पाएँ।

Paytm UPI

9899152690@ptaxis

A/c Name : Markazi Jamiat Ahle Hadees Hind
A/c No. **629201058685** (ICIC Bank)
Chandni Chowk, Delhi-110006
(RTGS/NEFT/IFSC CODE ICIC0006292)
पताः-4116 उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद, दिल्ली-110006
Ph. 23273407, Fax : 23246613

अपील : सदस्यगण, मर्कज़ी जमीअत अलहे हदीस हिन्द

Total Pages 28

28